

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक:- मु०अ०-4(मु०)रा०यो०-07-31/2023-4868 / पटना, दिनांक-08/09/2023

प्रेषक,

संजय दूबे, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 16 (सोलह) पुलों के निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 16 (सोलह) पुलों के निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 414.53मी० के निर्माण की राशि ₹ 41.44363 करोड़ (इकतालीस करोड़ चौवालीस लाख छतीस हजार तीन सौ रुपया मात्र) है-हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्य प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी०)	निर्माण की राशि (लाख में)	अनुसूचक की राशि (लाख में)	कटिजेसी की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Purnea	Baisi	Baisi	Construction of IIL RCC Bridge at Ch:- 1700m in Harerampur to Mala	13.50	118.146	1.131	1.090	120.367
2	Purnea	Baisi	Baisa	Construction of IIL RCC Bridge in Simlabari Mahesh Bathnaha Kankai River	32.12	354.012	1.843	2.270	358.125
3	Purnea	Baisi	Dagarua	Proposed IIL RCC Bridge in Phulpur To Basdaha	22.26	277.225	4.295	1.886	283.406
4	Purnea	Baisi	Baisa	Construction of RCC Box Bridge in NII-31 Azamnagar to Sadipur Road	11.50	112.108	0.989	1.061	114.158
5	Purnea	Baisi	Baisa	Construction of H L. RCC Bridge in REO Road to Prasadpur At Ch-1400	54.16	479.259	2.629	2.896	484.784
6	Purnea	Baisi	Dagarua	Proposed HI RCC Bridge in Lokani to Majhua Via Babhani	44.48	449.933	6.985	2.750	459.668
7	West Champaran	Chakiya	Kalyanpur	Construction IIL RCC Bridge From Shitalpur To Koyala Belwas Road Main Harendra Yadav ke Ghar ke Samne Nahar Pul ke Shian Par	16.08	238.540	3.650	4.490	246.680
8	Araria	Forbesganj	Narpatganj	Construction of RCC Bridge in L056 Rampur to Belsandi At Ch-9 800 Km	17.50	161.150	5.240	1.180	167.570
9	Araria	Forbesganj	Narpatganj	Construction of R C C. Bridge at Rampur to Belsandi At Ch-14 00 Km	17.50	137.610	5.250	1.070	143.930
10	Araria	Forbesganj	Narpatganj	Construction of RCC Bridge in Rampur to Belsandi At Ch-15 00 Km	17.50	163.960	5.400	1.190	170.550
11	Jahanabad	Jehanabad	Kako	Construction of Box Type RCC Minor Bridge (4 x 6.0M x 4.5M) in Barawan To Parkotiya Road	26.95	182.732	1.800	1.262	185.794

Shukla

df

12	Kishanganj	Kishanganj-1	Kochadhaman	Construction of RCC Bridge in Masjidgarh To GTSNY Road	17.50	166.370	5.500	1.190
13	Kishanganj	Kishanganj-1	Kochadhaman	Construction of RCC Bridge at Tena Sundarbari RFO road to Mala tola MMGSY Road	52.500	454.040	8.800	2.410
14	Saran	Madhaura	Madhaura	Construction of IIL RCC Bridge in place of Damaged Bridge in Mirzapur to Bajitpur Bhoraha MMGSY Road	19.36	280.490	1.930	1.900
15	Supaul	Supaul	Nirmali	Construction of IIL Bridge in 4th Km of Kamalpur to Kunauli Road over Maria Dhar	41.62	412.989	2.148	2.564
16	Muzaffarpur	Muzaffarpur East 2	Minapur	Construction of Bridge in Turki Purvi Panhcyat in Purani Gharari	10.00	67.222	0.271	1.507
Total					414.53			

- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकार एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
- इन योजनाओं का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजना-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-5150010301 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- इन योजनाओं के निर्माण की राशि एवं कटिजेन्सी की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजना-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 900.00 करोड़ रुपये का बंधन उपबंध स्वीकृत है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता-1/2/3 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०-4(मु०)-03-174/2021 के पृष्ठ संख्या-163 पर प्राप्त है।
- विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरान्त इन योजनाओं की योजनावार प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण कार्य) मंत्री का अनुमोदन संख्या मु०अ०-4(मु०) रा०यो०-07-31/2023 के पृष्ठ संख्या-64/टि० पर प्राप्त है।
- ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि निकाली जायगी।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्ट निविदा के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकाली एवं व्ययन करेंगे।

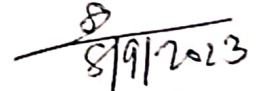
Shikhar

X

8

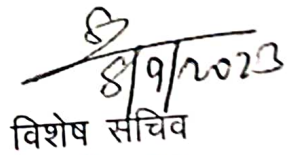
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०-4(मु०) रा०यो०-07-31 /2023 के पृष्ठ संख्या-०५...../टि० पर दिनांक ११/८/२३ को प्राप्त है।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
18. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।
19. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेंगी।
20. इन योजनाओं की निविदा मुख्यालय स्तर से आमंत्रित की जायेगी।

विश्वासभाजन

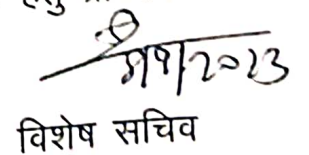


(संजय दूबे)
विशेष सचिव

पांक:- मु०अ०-4(मु०)रा०यो०-07-31/2023-4868 /पटना, दिनांक-०८/०९/२०२३
प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
षेत।


विशेष सचिव

पांक:- मु०अ०-4(मु०)रा०यो०-07-31/2023-4868 /पटना, दिनांक-०८/०९/२०२३
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

